यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल, अधिकारी, अल्मोड़ा** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल, अधिकारी, अल्मोड़ा** के माह मई 2013 से अक्टूबर 2015 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय कुमार सचान सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 06.11.2017 से 09.11.2017 तक श्री महेन्द्र तिवारी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एस.के. डंग, पर्यवेक्षक, एवं श्री प्रेम चन्द्र, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 30.05.2013 से 04.06.2013 तक श्री ..... वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 02/2006 से 04/2013 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2013 से 10/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल, विभाग द्वारा प्रान्तीय रक्षक दल स्वयं सेवकों की भर्ती, सुदढीकरण, युवा कल्याण महोत्सव का आयोजन, ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित खेल विधा प्रतियोगिता, विकास खण्ड स्तर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, युवक/महिला मंगल का गठन, पंजीकरण एवं मार्गदर्शन, सर्वश्रेष्ठ युवक/महिला मंगल दलों को विवेकानन्द यूथ एवार्ड के अंतर्गत प्रोत्साहित किया जाना, खेल मैदान का विकास एवं स्वयं सेवकों को विभिन्न विभागों में कार्य निष्पादन हेतु ड्यूटी लगायी जाती है। कार्यालय का भौगोलिक अधिकारी क्षेत्र समस्त अल्मोड़ा जनपद है।

   (ii) (अ) विगत पाँच वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु. लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2013-14	-	-	94.19	69.28	89.50	89.50	-	24.91
2014-15	-	-	96.33	64.78	114.70	114.69	-	31.56
2015-16	-	-	91.80	66.31	190.47	190.47	-	25.49
2016-17	-	-	120.54	94.47	263.86	249.40	-	40.53
2017-18 अक्टूबर 17 तक)	-	-	87.84	48.41	138.87	101.16	-	77.14

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
----------शून्य----------					

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई (सी) श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव
2. अपर सचिव
3. निदेशक
4. वित्त नियंत्रक
5. संयुक्त निदेशक
6. उप निदेशक
7. सहायक निदेशक
8. सहायक समादेष्टा
9. सहायक लेखाधिकारी
10. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

1. **जनपद स्तर**
    1. जिला युवा कल्याण एवं प्रा.र.दल अधिकारी
    2. व्यायाम प्रशिक्षक
    3. वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक
2. **विकास खण्ड स्तर**
    1. क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रा.र.दल अधिकारी

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल, अधिकारी, अल्मोड़ा** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल, अधिकारी, अल्मोड़ा** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 एवं 09/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा ....., लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(अ)

प्रस्तर-1- स्वयंसेवकों की ड्यूटी उपस्थित को नजर अंदाज कर रु. 3.05 लाख का अधिक एवं अनुचित भुगतान।

कार्यालय, जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, अल्मोड़ा विभिन्न कार्यालयों द्वारा की गई मांग के अनुसार स्वयंसेवकों की ड्यूटी लगाता है। एवं तदनुसार दैनिक आधार पर की गई ड्यूटी के अनुरूप स्वयंसेवकों को मानदेय का भुगतान किया जाता है।

माह सितम्बर 2017 की विस्तृत जांच में पाया गया कि मार्च-अप्रैल 2017 में परीक्षा के दौरान स्वयं सेवकों की ड्यूटी लगाई गई एवं तदनुसार उनकों मानदेय का भुगतान किया गया। जांच में आगे पाया गया कि परीक्षा की अवधि 16.03.2017 से 10.04.2017 थी। इस दौरान कुल दिवस 26 थे जबकि अवकाश को घटाकर कुल कार्य दिवस अधिकतम 16 दिन थे। उक्त अवधि में कई विद्यालयों द्वारा स्वयंसेवकों की ड्यूटी केदिवस दर्शाये गये है एवं कई विद्यालयों द्वारा नहीं दर्शाये गये है।

कार्यालय जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी द्वारा उक्त प्रमाण पत्रों में अंकित कार्यदिवस एवं उपस्थिति को नजरअंदाज कर स्वयंसेवकों को अधिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्यों से समस्त कार्यदिवस के अनुसार मानदेय का भुगतान कर दिया गया। एवं प्रधानाध्यापकों द्वारा दिये गये प्रमाण पत्रों को अनदेखा कर दिया गया। जांच में यह भी पाया गया कि इकाई द्वारा न तो स्वंय मस्टर रोल तैयार किया गया और न ही विद्यालयों से मस्टर रोल की मांग की गई। जिससे स्वयंसेवकों की सही उपस्थिति ज्ञात हो सके। और तदनुसार उचित मानदेय का भुगतान किया जा सके। लेखापरीक्षा द्वारा माह सितम्बर 2017 की जांच में पाया गया कि देय धनराशि रु. 4.83 लाख के स्थान पर रु. 7.88 लाख का भुगतान स्वयंसेवकों को किया गया। इस प्रकार रु. 3.05 लाख का अधिक एवं अनुचित भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य वर्षों में इसी प्रकार के अनुचित भुगतान से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध में प्रश्न किये जाने पर इकाई ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। किन्तु यह स्वीकार कि ज्यादा भुगतान की वसूली स्वयंसेवकों के माह नवम्बर के ड्यूटी भत्ता भुगतान से कर दी जायेगी। जिससे यह स्पष्ट है कि इकाई द्वारा स्वयंसेवकों को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से ड्यूटी पर उपस्थिति संबंधी अभिलेखों को अनदेखा कर स्वेच्छापूर्वक भुगतान किया जा रहा है।

अतः स्वयंसेवकों की उपस्थिति संबंधी अभिलेखों को नजर अंदाज कर मानदेय का भुगतान एवं माह सितम्बर 2017 में रु. 3.05 लाख के अधिक एवं अनुचित भुगतान का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का उल्लंघन कर रु. 6.23 लाख की अधिप्राप्ति।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम सं. 3(10) के अनुसार निम्नतर दरों का लाभ प्राप्त करने के लिये यथासाध्य अधिनियम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाय। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिये आवश्यक मात्रा को विभाजित नहीं किया जायेगा। और न ही कुल आवश्यकता के आंकलित मूल्य के संदर्भ में अपेक्षित उच्चतर अधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिये छोटे-2 भागों में विभक्त किया जायेगा।

लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा उत्तरांचल बहुउद्देशीय स्वायत्त सहकारिता, राजेन्द्र स्पोर्टस, हिल्स ट्रेडिंग कम्पनी एवं लक्षिता इण्टरप्राइजेज से कुल रु. 6.23 लाख की सामग्री क्रय की गई। (विवरण संलग्न) उक्त सामग्री क्रय करने हेतु विभाग द्वारा न ही कोटेशन प्रक्रिया का पालन किया गया एवं न ही सामग्री की आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति की गयी। अधिकारियों की संस्वीकृति से बचने के लिए सामग्री को एक ही सामग्री को एक ही में कई-2 बार क्रय किया गया। विभिन्न विकास खण्डों द्वारा भी एक ही माह से एक ही फर्म से सामग्री की अधिप्राप्ति की गई। जबकि क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी के पास अधिप्राप्ति के अधिकार नहीं है।

लेखापरीक्षा द्वारा इस विषय पर पूछे जाने पर इकाई ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। मैं. हिल्स ट्रेडिंग कम्पनी से वर्दी क्रय के संबंध में इकाई ने उत्तर दिया कि निदेशालय स्तर पर वर्दी क्रय की गई। एवं बिल भुगतान हेतु जनपद को भेजा गया। जबकि निदेशालय स्तर पर समस्त अधिप्राप्ति का भुगतान निदेशालय के आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा किया जाता है। इस संबंध में इकाई द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा को उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निदेशालय स्तर पर क्रय की गई सामग्री का भुगतान निदेशालय के आहरण वितरण अधिकारी द्वारा किया जाता है। ऐसे बिलों को जनपद को भुगतान हेतु नहीं दिया जा सकता। स्थानीय स्तर पर इकाई द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का उल्लंघन कर समस्त सामग्री की अधिप्राप्ति की गई।

अतः निदेशालय स्तर पर क्रय किये गये सामग्री को भुगतान हेतु जनपद को प्रस्तुत करने एवं इकाई द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का उल्लंघन कर तथा उच्चाधिकारियों की संस्वीकृति से बचने के लिए अधिप्राप्ति को छोटे-2 भागों में विभक्त करने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

अधिप्राप्ति का विवरण

(1) उल्लंघन बहुउद्देशीय स्वायत्त सहकारिता		
208 dt 22.03.16/177 dt 19.03.16	क्रीड़ा	30,000/-
241dt. 28.03.16/204 dt 26.03.16	क्रीड़ा	16,832/-
240dt 28.03.16/203 dt 26.03.16	क्रीड़ा	25,000/-
261 dt 29.03.16/04 dt 15.03.16	कार्यालय	15,000/-
249 dt 28.03.16/193 dt 21.03.16	कार्यालय	30,000/-
209 dt 22.03.16/178 dt 19.03.16	कार्यालय	18,000/-
207 dt 22.03.16/176 dt 19.03.16	कार्यालय	27,000/-
		1,61,832/-
(2) मैं. राजेन्द्र स्पोर्टस		
230 dt 28.03.16/187 dt 20.03.16	क्रीड़ा	30,135/-
253 dt 28.03.16/207 dt 26.03.16	क्रीड़ा	20,084/-
220 dt 26.03.16/185 dt. 20.03.16	क्रीड़ा	43,050/-
		93,269/-
(3) मैं. हिल्स ट्रेडिंग कम्पनी		
231 dt 28.03.16/188 dt 20.03.16	क्रीड़ा	83,750/-
221 dt 26.03.16/186 dt 20.03.16	क्रीड़ा	1,25,000/-
		2,08,750/-
(4) मैं. सक्षिता इण्टरप्राइजेज		
233 dt 28.03.16/195 dt 27.03.16	क्रीड़ा	39,144/-
235 dt 28.03.16/192 dt 22.03.16	क्रीड़ा	90,090/-
234 dt 28.03.16/196 dt 22.03.16	क्रीड़ा	29,977/-
		1,59,211/-

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- विभागीय लापरवाहियों के चलते रु. 35.00 लाख के कार्यों का अपूर्ण रहना।

जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल, अल्मोड़ा के रु. 35.00 लाख की लागत से निम्न निर्माण कार्य ग्रामीण निर्माण विभाग, अल्मोड़ा एवं ग्रामीण निर्माण विभाग, भिकियासैण द्वारा कराये जा रहे थे, जोकि अद्यतन पूर्ण नहीं पाये गए।

(In lakh)

क्र.सं.	घोषणा संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलन	अवमुक्त धनराशि	अद्यतन स्थिति (विभागीय स्पष्टीकरण)
1.	2238/2015	सोमेश्वर स्टेडियम का सुधारीकरण एवं विस्तार का कार्य	10.00	10.00 (9/16)	विवादित होने के बाद प्रगति पर
2.	2577/2015	ग्राम फूटा में मनोटा में खेल मैदान	3.00	3.00 (9/16)	विवादित
3.	2578/2015	ग्राम पीतना में खेल मैदान का निर्माण	3.00	3.00 (9/16)	विवादित
5.	743/2012	छडौजा में मिनी स्टेडियम निर्माण	3.00	3.00 (11/16)	धीमी प्रगति
6.	739/2012	डायट अल्मोड़ा के क्रीड़ा स्थल को मिनी स्टेडियम बनाया जाना	3.00	3.00 (11/16)	प्रगति पर
योगः-				**22.00**	
कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग, भिकियासैंण					
9.	1886/2015	रानीखेत के धराव में छोटा खेल मैदान	3.00	3.00	ग्राम पंचायत का नाम गलत
10.	483/2014	स्याल्दे मे स्टेडियम का निर्माण	10.00	10.00	धनराशि संस्था को हस्तगत
योगः-				**13.00**	

लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर इकाई द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों पर दिये गए स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट था कि निर्माण कार्यों के पूर्ण न होने के पीछे इकाई द्वारा की गयी लापरवाही ही मुख्य रुप से उत्तरदायी है।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
178	-	1
08/2013-14	-	1,2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य---------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल, अधिकारी, अल्मोड़ा** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   (i)

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i)

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	श्री रत्नाकर सिंह	जिला कार्यक्रम अधिकारी	14.02.13 से 25.08.14
2.	श्री पान सिंह	प्र.यु.क. एवं प्रा.र.दल. अधि.	28.08.14 से 02.03.16
3.	श्री एस.एस. रावत		03.03.16 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल, अधिकारी, अल्मोड़ा** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र